

## न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक— ५६ / 2024 / सी.जे.एम. / जी.बी.एन., दिनांक—18.04.2024

### आदेश

जनपद गौतमबुद्धनगर में न्यायिक अधिकारीगण/मजिस्ट्रेटगण के रथानांतरण होने के परिणामस्वरूप समस्त थाना क्षेत्राधिकार के परीक्षण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में त्वरित न्यायालय एवं प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए निम्न अनुसार कार्य वितरण कुशल प्रशासन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है—

| क्र. सं. | न्यायालय का नाम                                      | सम्बन्धित थाना एवं कार्यभार का विवरण   |
|----------|--|--|
| 1        | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>गौतमबुद्धनगर।           | थाना सैकटर-20, सैकटर-39, बिसरख, फेस-1, सैकटर-63, नॉलेज पार्क, साईबर क्राइम एवं आई.टी.एक्ट, जिले के समस्त थानों से सम्बन्धित धारा—302, 304बी., 304 व 396 भा०द०सं० के मामले, राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा रथानीय निगमित निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भा०द०सं० के अधीन समस्त पुलिस चालानी वाद एवं सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित परिवाद तथा आबकारी विभाग द्वारा योजित चालानी मामले एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम (आर्थिक अपराध को छोड़कर) चालानी मामले एवं समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित ट्रफिक पुलिस चालानी मामले। |
| 2        | प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>गौतमबुद्धनगर। | थाना सैकटर-24, दनकौर, जारचा, बादलपुर, इकोटेक-1, सैकटर-142, ए०एच०टी०ओ० एवं सैकटर-113 से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा वन विभाग द्वारा योजित सम्पूर्ण जनपद के वन अधिनियम के मामले, सम्पूर्ण जिले के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित मामले व मोटर यान अधिनियम के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित सभी मामले, एन.डी.पी.एस. एक्ट के पुलिस चालानी वाद मामले तथा गौवध अधिनियम से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं  |

✓

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | परिवाद मामले एवं रबूपुरा, जेवर से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद।  |
| 3 | द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।                                      | थाना—दादरी, बीटा-2, कासना (ग्रेटर नोएडा / साईट-5) गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी तथा थाना इकोटेक-1, सैक्टर-142, नोएडा से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी मामले एवं साईबर काईम, आई.टी.एक्ट से सम्बन्धित रिलीज मामले। |
| 4 | तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।  | रिक्त  |
| 5 | अपर सिविल जज(सीनियर डिविजन) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1 गौतमबुद्धनगर। | मातृत्व अवकाश  |
| 6 | अपर सिविल जज(सीनियर डिविजन) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-2 गौतमबुद्धनगर। | थाना—सूरजपुर, सैक्टर-126, सैक्टर-49, थाना—इकोटेक-3, थाना—सैक्टर-58, सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद एवं थाना—सैक्टर-20 एवं सैक्टर-39, नोएडा से सम्बन्धित परिवाद मामले।  |
| 7 | सिविल जज(सीनियर डिविजन) / त्वरित न्यायालय, गौतमबुद्धनगर।                                 | थाना—फेस-3, एक्सप्रेस-वे एवं फेस-2 से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी, थाना फेस-1, थाना सैक्टर-63, थाना—नॉलेज पार्क, थाना—बिसरख से सम्बन्धित परिवाद मामले।  |
| 8 | सिविल जज(जूनियर डिविजन) / जे०एम०, जेवर, गौतमबुद्धनगर।                                    | थाना जेवर, रबूपुरा से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय मामलो को छोड़कर समस्त पुलिस चालानी वाद एवं  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | परिवाद मामले तथा समस्त मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी।  |
| 9  | न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।   | जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पूर्ण दिवसीय कार्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार निष्पादित कर रहे हैं।   |
| 10 | अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट संख्या—1 गौतमबुद्धनगर  | रिक्त  |
| 11 | अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट संख्या—2, गौतमबुद्धनगर   | रिक्त  |
| 12 | अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट संख्या—3 गौतमबुद्धनगर  | रिक्त  |
| 13 | न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / एफ.टी.सी. (Newly created court for Trying cases of crime against women), गौतमबुद्धनगर।     | महिला थाना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद मामले तथा समस्त मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं थाना जेवर एवं रबपुरा को छोड़कर जनपद के घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित परिवाद मामले। |
| 14 | न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / एफ.टी.सी. (Newly created court under the scheme of 14th Finance Commission), गौतमबुद्धनगर। | रिक्त  |

#### नोट :-

1— न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, गौतमबुद्धनगर में थाना दादरी से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद के मामले रहेंगे, किंतु बाईंक बोट से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं प्रकीर्ण वाद मामले न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर में ही विचारण हेतु लम्बित रहेंगे।

2— न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि० / त्वरित न्यायालय (महिला अपराध) में लम्बित तथा प्रस्तुत अतिआवश्यक प्रार्थना पत्रों के निस्तारिण का क्षेत्राधिकार पीठासीन अधिकारी के प्रशिक्षण अवधि तक न्यायालय अपर सिविल जज सी०डि० / एफ.टी.सी., गौतमबुद्धनगर को दिया जाता है।

3— उपर्युक्त थाने के क्षेत्राधिकार के अधीन आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, कॉपी राईट तथा मोटरयान के अधीन पुलिस चालानी मामले सम्बन्धित न्यायालय में योजित, प्ररक्षित व निस्तारित किये जायेंगे।

4— ऐसे अन्य सभी फौजदारी मामले, जो उर्पयुक्त वर्णित किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, में योजित किये जायेंगे।

5— जो पत्रावलियाँ माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा पारित आदेश से किसी न्यायालय में स्थानांतरित की गयी हैं, यदि वह न्यायालय रिक्त हो गया है, तो उन पत्रावलियों की सूची यथाशीघ्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराई जाये, जिससे कि पत्रावलियों के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित हो सके।

6— जेल से सम्बन्धित पत्रावलियाँ जो पूर्व पारित आदेश द्वारा कार्यरत मजिस्ट्रेट, न्यायालयों में स्थानांतरित की गयी थी, वह जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं, उसी क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्थानांतरित की जाये।

दिनांक—18.04.2024

*Babita Patnaik*  
(बिबिता पाठक)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
गौतमबुद्धनगर।

*Babita Patnaik*  
अनुमोदित  
18.04.2024  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि—

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर को अनुमोदनार्थ 'सादर' प्रेषित।
2. जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर।
5. अध्यक्ष / सचिव बार एसोसियेशन, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष / सचिव बार एसोसियेशन, जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
7. जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर के समस्त मजिस्ट्रेट, न्यायालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
8. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि समस्त थाना को इस सम्बन्ध में सूचित करें।
9. कार्यालय माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

दिनांक—18.04.2024

*Babita Patnaik*  
(बिबिता पाठक)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
गौतमबुद्धनगर।